

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक नारायणपुर (छ.ग.)

(तकनीकी शिक्षा, विभाग छ.ग. शासन के अंतर्गत संचालित)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

लागू किये जाने बाबत सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के धारा 03, 04, 05 एवं 17 द्वारा प्रवक्त शक्तियों के तहत् नीचे दी गई अनुसूची में विभाग द्वारा उल्लेखित उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा प्रदान करने वाली पदाभिहित अधिकारी (पद) समक्ष अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का पद का नाम अधिसूचित किया जाता है :-

स.क्र.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदान की जाती है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्यदिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	संस्था स्तर पर छात्रों का ब्रांच परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्रों पर निर्णय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर नारायणपुर (छ.ग.)	संभागायुक्त, नारायणपुर (छ.ग.)
2	संस्था स्तर पर सभी प्रकार के रिफंड का छात्रों को भुगतान	15 कार्य दिवस			
3	छात्र-छात्राओं का स्थानांतरण/चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना	07 कार्य दिवस			
4	संस्था के निःशक्तजनों से प्राप्त आवेदन पत्रों/शिकायतों का निराकरण	07 कार्य दिवस			
5	संस्था स्तर पर सभी प्रकार के वापसी (रिफंड) का निःशक्तजनों को भुगतान	07 कार्य दिवस			
6	निःशक्तजनों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	03 कार्य दिवस			
7	संस्था परिवर्तन चाहने वाले छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	30 कार्य दिवस	प्राचार्य	संचालक तकनीकी शिक्षा	सचिव तकनीकी शिक्षा

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक
नारायणपुर (छ.ग.)